

**उत्तराखण्ड शासन**  
**वित्त अनुभाग-9**  
**संख्या- 406/XXVII(9)/2009**  
**देहरादून :: दिनांक 15 जुलाई 2009,**  
**अधिसूचना**

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है,

अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या-26/XXVII(9)/स्टाम्प/ 2008 दिनांक 31.03.2010 की तारीख तक रूपये 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदानकरते हैं।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 406(1)/XXVII(9)/2009 तददिनांक**

**प्रतिलिपि** :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमाऊँ।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप-निदेशक राजकीय लीथो प्रेस, रुड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग'9 को उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग उत्तराखण्ड, शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0 वल्दिया)  
उप सचिव।